: : कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/12128/2016–17 दिनांक– 25/11/16

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,

विषयः– वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा के पदों पर डीपीसी/ रिव्यू डीपीसी से पदौन्नत शिक्षकों के पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश एवं कार्यक्रम।

प्रसंगः– राज्य सरकार के पत्रांक–प.17(4)शिक्षा–2/2009 दिनांक–17.11.2016 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से चयनित शिक्षकों के पदस्थापन की कार्यवाही परामर्श केम्प आयोजन कर की जानी है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

01. शासन के आदेश दिनांक 17.11.2016 के अनुसार वरियता एवं रिक्तियों का निर्धारण किया जाये।
02. रिव्यू डीपीसी में चयन से बाहर हुए शिक्षकों का डीपीसी वर्ष 2016–17 में पुनः चयन होने शिक्षकों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित होना आवश्यक है तथा राज्य सरकार के दिशा–निर्देश पत्र दिनांक 17.11.2016 के अनुसार उन विद्यालयों को रिक्तियों में सम्मिलित किया जावें।
03. सेवानिवृत कार्मिक जो वरिष्ठ अध्यापक पद पर संविदा पर कार्य कर रहे है के पदों को रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावें।
04. न्यायालय में दायर वरिष्ठ अध्यापक के सम्बन्ध में पूर्व में ही कार्यरत कार्मिकों के न्यायालय निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जावें।
05. उक्त काउंसलिंग (परामर्श कैम्प) दिनांक 01.12.2016 से 06.12.2016 के संलग्न विषयवार एवं तिथिवार काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार की जावें तथा समस्त पदोन्नत कार्मिकों की अन्तिम कार्यग्रहण तिथि 16.12.2016 रखी जावें।
06. वरियता का निर्धारण कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए निर्धारित समय दिनांक 29.11.2016 को दोपहर 1:00 बजे तक आवश्यक रूप से किया जावें।
07. काउंसलिंग सूचना आप अपने स्तर पर सम्बन्धित जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग से सम्पर्क कर निर्बाद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावें।
08. काउंसलिंग हेतु स्थान का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जावें कि यातायात बाधित न हो एवं वाहन खड़े करने की समुचित व्यवस्था हो तथा एक ही स्थान पर दो दलों (दो पृथक–पृथक विषयों की) काउंसलिंग की जा सकें।
09. काउंसलिंग हेतु दलों का गठन समय पूर्व किया जाकर समस्त व्यवस्था दिनांक 30.11.2016 तक की जानी सुनिश्चित की जावें।
10. काउंसलिंग हेतु आवश्यक फर्नीचर, ऑन लाईन प्रक्रिया हेतु दक्ष कार्मिक एवं संसाधनों की व्यवस्था कर ली जावें।
11. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वय कर सहयोग प्राप्त करें की कार्यवाही की जावें।
12. काउंसलिंग दिनांक को प्रातः 9:00 बजे से रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
13. काउंसलिंग में आवंटन शीट में आवंटित स्थान के समक्ष उस कार्मिक का नाम एवं प्राथमिकता क्रमांक का अंकन आवश्यक रूप से किया जावें।
14. काउंसलिंग दिनांक को ही पदोन्नति आदेश जारी कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।
15. टीएसपी क्षेत्र हेतु काउंसलिंग टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के अनुसार ही की जावें।

राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 17.11.2016 एवं उपर्युक्त दिशा–निर्देश जो राज्य सरकार के पत्र के पूरक में जारी किये गये है, यदि कोई अन्तर आता पाया जाता है तो राज्य सरकार के पत्र दिनांक 17.11.2016 को मान्य माना जावें।

संलग्न– प्रासंगिक पत्र एवं उपर्युक्तानुसार।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

मण्डल स्तर पर तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) एवं द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक तथा द्वितीय श्रेणी विशेष शिक्षा में पदोन्नत कार्मिकों की काउंसलिंग का कार्यक्रम

मण्डल	01-12-2016	02-12-2016	03-12-2016	04-12-2016	05-12-2016	06-12-2016
BIKANER	ALL ENG AND ALL MATHS (168+122=290)	ALL SST AND ALL GENERAL (199+120=319)	ALL HINDI (180)	ALL SCIENCE (191)	ALL SANSKRIT AND ALL PUNJABI (132+53=185)	Sr.PTI (23) and Spec.teacher (01) (23+1=24)
CHURU	ALL ENG AND MATHS (135+43=178)	ALL SST AND ALL GENERAL (218+79=297)	ALL HINDI (321)	ALL SCIENCE (215)	ALL SANSKRIT AND ALL URDU (283+18=301)	Sr.PTI (01) and Spec.teacher (02) (01+02=03)
JAIPUR	ALL ENG AND MATHS (258+271=529) Two Parties	ALL SST AND ALL GENERAL (375+146=521) Two Parties	HINDI (1-200)	HINDI (201-438) AND ALL SCIENCE (245) (238+245=483) Two Parties	SANSKRIT (1-300) (300)	SANSKRIT (301-491) AND Sr.PTI (26) (197+26=223)
JODHPUR	ALL ENG AND ALL MATHS (238+47=285)	ALL SST AND ALL GENERAL (302+110=412) Two Parties	ALL HINDI (316)	ALL SCIENCE (146)	ALL SANSKRIT (144) AND URDU (19) (144+19=163)	Sr.PTI (31)
AJMER	ALL ENG AND ALL MATHS (195+138=333)	ALLGENERAL (217)	HINDI (1-300)	HINDI (301-574) AND ALL SCIENCE (59) (274+59=333)	ALL SANSKRIT (377)	Sr.PTI (23) and Spec.teacher (01) (23+1=24)
PALI	ALL ENG AND ALL MATHS (64+10=74) TSP Eng-2 and maths-1	ALL SST AND ALL GENERAL (146+123=269)	ALL HINDI (79)	ALL SCIENCE (64)	ALL SANSKRIT (111) AND URDU (03) (111+03=114) TSP - 05	Sr.PTI (07)
BHARTPUR	ALL ENG AND ALL MATHS (80+64=144)	ALL SST AND ALL GENERAL (133+58=191)	HINDI (1-270)	HINDI (271-371) AND ALL SCIENCE (101+186=287)	ALL SANSKRIT (240) AND URDU (04) (240+4=244)	Sr.PTI (37)
KOTA	ALL ENGLISH AND ALL MATHS (141+65=206)	ALL GENERAL (110)		ALL SCIENCE (183)	ALL SANSKRIT (247)	Sr.PTI (14) and Spec.teacher(01) (14+1=15)
UDAIPUR	ALL ENGLISH AND ALL MATHS (117+13=130)	ALL SST (70)	ALL HINDI (125)	ALL SCIENCE (56)	ALL URDU (06)	Sr.PTI (05)